

प्रेषक,

जयवीर सिंह नागर,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-5/
गैंगस्टर कोर्ट, उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय: खरीदी गयी संपत्ति की सूचना दिये जाने बाबत


महोदय,

आति विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति दिनांक 30.01.2023 के अनुक्रम में एक आवासीय मकान खरीदा गया है, जिसका विवरण संलग्न दस्तावेज में दिया गया है। मेरे द्वारा उक्त आवासीय मकान दिनांक 09.02.2023 को सैलरी अकाउंट से 07 लाख रुपये और 63 लाख रुपये लोन के माध्यम से कुल 70 लाख रुपये में क्रय किया गया है, जिसकी सूचना माननीय महोदय को सादर प्रेषित की जा रही है। प्रार्थी द्वारा क्रय करने के पश्चात सूचना देने में विलंब हुई क्योंकि प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि क्रय करने से पूर्व अनुमति करने के पश्चात भी सूचना भेजनी होती है, जब प्रार्थी को जानकारी हुई तब प्रार्थी द्वारा क्रय करने की सूचना महोदय के समक्ष भेजी जा रही है। प्रार्थी को जो सूचना भेजने में विलंब हुआ है वह अज्ञानता के कारणवश हुआ है, जिसके लिए हृदय से क्षमा चाहता है।

अतः माननीय महोदय की सेवा में मकान क्रय करने की सूचना सादर प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक: 04.07.2024

भवदीय

(जयवीर सिंह नागर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-5/
गैंगस्टर कोर्ट, उन्नाव।

संलग्नक- CL No. 35/Admin
(A) dated 13th July 1998 के अनुसार
वांछित प्रोफार्मा में आवश्यक सूचना